Result Mitra Daily Magazine

निजता का अधिकार

हालिया संदर्भ :

- कर्नाटक उच्च न्यायालय (HC) के पूर्व न्यायाधीश एवं 'गोपनीयता के अधिकार' (Right to Privacy) मामले में मुख्य याचिकाकर्ता के. एस. पुट्टूस्वामी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- इन्होंने 'आधार–कार्ड योजना' की संवैधानिकता वैधता को चुनौती दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट (SC) ने संविधान के अनुच्छेद–21 के तहत 'निजता के अधिकार' को मान्यता दी।

विशेष निर्णय :

- अगस्त 2017 में के. पुट्टूस्वामी VS संघ मामले में SC के 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि 'गोपनीयता का अधिकार' अनुच्छेद–21 (जीवन जीने के अधिकार) के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक रूप में संविधान के भाग–III के द्वारा गारंटीकृत अधिकार है।
- इस मामले में कुल 22 याचिकाकर्ता थे, जिसमें पुट्टूस्वामी प्रमुख थे।
- इससे पूर्व SC ने 30 मामलों में गोपनीयता के मुद्दे को संबोधित किया था।
- भारत सरकार ने तर्क देते हुए कहा था कि 'गोपनीयता' कोई मूल अधिकार नहीं है और SC ने दो पूर्व मामलों में (8 एवं 6 सदस्यीय पीठ द्वारा) यह निर्णय दिया भी है।
- SC ने इस फैसले के द्वारा केंद्र सरकार की सभी तर्कों एवं अपने पूर्व के फैसलों को खारिज करते हुए 'निजता के अधिकार' को मूल अधिकार बताया।

SC की विशिष्टता :

- SC ने संवैधानिक अधिकारों के ढांचे को मजबूत करने के लिए गोपनीयता के संबंध में स्वायत्तता, गरिमा एवं पहचान के सिद्धांतों को खोजा है, जिसके तहत इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता एवं गैर–भेदभाव से संबंधित निजता के अधिकार पर भरोसा करते हुए समान लिंगों के वयस्कों सहित सभी वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।
- इसके अलावा SC ने जीवन के अंत में देखभाल के संदर्भ में भूमिका की जांच की तथा सम्मान के साथ मरने के अधिकार की पुष्टि की।

वैश्विक स्थिति :

- विश्व के अलग-अलग देशों में निजता के अधिकार की सुरक्षा अलग-अलग प्रकार से की जाती है।

1. USA :–

- अमेरिकी संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, बल्कि यह SC के विभिन्न व्याख्याओं से अस्तित्व में आया है।
- मुख्य रूप से यह 1974 में गोपनीयता एक्ट के प्रावधानों द्वारा नागरिकों को संघीय एजेंसियों द्वारा उनके रिकॉर्ड के मनमाने प्रयोग से रोकने के लिए प्रभाव में आया।

2. जर्मनी :–

- नाजी शासन के भयावह इतिहास ने इस देश को निजता के महत्व से बहुत पहले परिचित करा दिया, जिसके कारण यह देश गोपनीयता कानूनों को लागू करने के मामले में सबसे सख्त कानूनी उपायों वाले देशों में से है।

3. स्वीडन :–

- इसने अपने नागरिकों को एक व्यक्तिगत पहचान संख्या दिया है, जिसका उपयोग राज्य के साथ किसी भी कार्य में किया जाना आवश्यक है, लेकिन फिर भी यह देश ऑनलाइन गोपनीयता सुनिश्चित करने में बहुत आगे है।
- व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा का अधिकार स्वीडिश संविधान में भी वर्णित है।

4. कनाडा :–

- पहली बार 1977 में मानवाधिकार एक्ट के तहत गोपनीयता के अधिकार संबंधी प्रावधान शामिल किए गए थे, जिसे 1983 में विस्तृत किया गया।

Result Mitra

5. यूरोपीय संघ :–

- मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद–8 में निजता के अधिकार का सीमित प्रावधान है, वहीं 1995 का डेटा सुरक्षा निर्देश यूरोपीय संघ के भीतर व्यक्तिगत डेटा के गलत प्रयोग को नियंत्रित करता है।

आधार :

- यह 12 अंकों वाला एक यूनिक पहचान संख्या है, जो केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है।
- यह UIDAI द्वारा जारी एवं प्रबंधित किया जाता है।
- इसमें व्यक्तिगत जानकारी के अलावा कई बायोमेट्रिक जानकारियां जैसे आइरिस, फिंगरप्रिंट आदि शामिल होती हैं।
- SC के विभिन्न फैसलों के अनुसार यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है एवं एक बार जारी किए जाने के बाद इसे किसी भी समय खारिज (समाप्त) किया जा सकता है।

Result Mitra